

**फार्म**  
**अचल संपत्ति विवरण वर्ष-2013**

6

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण : वर्ष 1989 निरंक

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम | एस.डी.साकोरीकर                               |
| 2. वर्तमान धारित पद             | कार्यपालन अभियन्ता                           |
| 3. कार्यालय का नाम              | अधीक्षण अभियन्ता (परीक्षण एवं संचार) उज्जैन. |
| 4. वर्तमान वेतन                 | रु.55430/- एवं ग्रेड पे                      |
| 5. भविष्य निधि क्रमांक          | 25373001                                     |
| 6. कर्मचारी संख्या              | 90360321                                     |
| 7. अगली वेतनवृद्धि की दिनांक    | जुलाई-2014                                   |

उस जिले उपसंभाग, तालक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारियों से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा बंधक विरासत,भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन को तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
01. इन्दौर जिला इन्दौर	फ्लेट-03 प्रथम एवं द्वितीय तल साई प्रधान अपार्टमेंट प्लाट नम्बर-152, सेक्टर-2 बी वैशाली नगर इन्दौर	निरंक	अनुमानित रु. 15,00,000/-	श्रीमती शुभदा सोकोरीकर (पत्नी)	एच. डी एफ. सी. बैंक से रु. 8.लाख लोन लोन लिया गया	84,000/-	निरंक
01. देवास जिला देवास	56, मृदुल विहार ए.बी.रोड देवास	निरंक	अनुमानित रु. 28,00,000/-	सुभाष साकोरीकर	स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया देवास बैंक से रु. 25,20,000/-होम लोन लिया गया	निरंक	निरंक

हस्ताक्षर.....  
 नाम : एस.डी.साकोरीकर  
 पद : कार्यपालन यंत्री  
 कार्यालय,अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार)  
 म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि.उज्जैन.

- जहां लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।